

न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी— नरेश कुमार शर्मा
आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं0 89/2017



छोटे लाल पुत्र मंगला जाति कोली निवासी राजपुरा तहसील नांगल राजावतान
जिला दौसा ...अपी0

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील नांगल राजावतान ...रेस्पो0

अपील विरुद्ध निर्णय दिनांक 29.09.2017
व न्यायालय तहसीलदार, नांगल राजावतान

उपस्थित : 1.श्री प्रकाश चंद मीना अधिवक्ता अपीलांत
2.श्री चंद्र शेखर शर्मा राजकीय अधिवक्ता, पैरोकार सरकार

निर्णय

दिनांक 24.01.18

संक्षिप्त विवरण अपील इस प्रकार है कि तहसीलदार, नांगल राजावतान ने दिनांक 29.09.2017 को ग्राम राजपुरा तहसील नांगल राजावतान के आ0ख0 न0 344 रकबा 0.05 है0 किस्म चारागाह पर अपीलांत को अतिक्रमण का दोषी मानते हुए बेदखली, पेनल्टी एवं 90 दिवस के सिविल कारावास की सजा का आदेश पारित कर दिया गया। इसी आदेश से असंतुष्ट होकर यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गयी। रेस्पो0 को तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मंगवाई गई। बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांत पक्ष द्वारा अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में दलील है कि पटवारी हल्का द्वारा निहायत झूठी रिपोर्ट की है। अपीलांत को साक्ष्य/सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना एवं बिना मौके की जांच किये बिना इकतरफा में निर्णय पारित किया है। अपीलांत द्वारा चरागाह भूमि कोई अतिक्रमण नहीं किया बल्कि स्वयं की पट्टेशुदा भूमि पर सन् 1975 से ही काबिज है। इस भूमि का पट्टा तत्कालीन नायब तहसीलदार दौसा द्वारा निःशुल्क दिया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांत अपनी ही भूमि पर काबिज है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि प्रक्रिया का पालना नहीं करते हुए इकतरफा पक्षपातपूर्ण आदेश पारित कर दिया गया है, जो नियमों के प्रतिकूल होने से विधि विरुद्ध एवं तथ्यों कि विपरीत है। अतः अपील अपीलांत स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

राजकीय अधिवक्ता की बहस में दलील है कि प्रश्नगत भूमि की रिपोर्ट धारा 91 पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत करने पर गिरदावर हल्का से जांच करवाई गई। गिरदावर हल्का की जांच के हस्ताक्षर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट धारा 91 पर मौजूद है। अपीलांत को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम-1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया। अपीलांत का यह कथन उचित नहीं है कि साक्ष्य/सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। राजस्व अभिलेख में विवादित भूमि चरागाह दर्ज है। ऐसी स्थिति में अपीलांत अतिक्रमी की श्रेणी में आता है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रह जाती है। अतः अपील अपीलांत खारिज फरमाई जावें ।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया गया । पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रश्नगत भूमि की रिपोर्ट धारा 91 पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट धारा 91 की जांच गिरदावर हल्का से करवाई गई। गिरदावर हल्का की जांच के हस्ताक्षर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट धारा 91 पर मौजूद है। अपीलांत द्वारा अपील मीमों में अंकित तथ्यों पर गौर किया गया। अपीलांत द्वारा पटवारी हल्का की झूठी रिपोर्ट का कथन उचित प्रतीत नहीं होता है। अपीलांत को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया नोटिस बाद तामिल संलग्न पत्रावली है। बावजूद सूचना अपीलांत अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित ही नहीं हुए। अपीलांत द्वारा पट्टेशुदा भूमि पर वर्ष 1975 से काबिज होना अपनी अपील मीमों व वरवक्त बहस में कहकर आये है। उन्होंने ऐसा कोई दस्तावेजी सबूत पेश नहीं किया जिससे उनके कथन की पुष्टि नहीं होती है। बल्कि अपीलांत पर्याप्त पश्चातवर्ती अतिक्रमी है। जो वर्ष 1975 से काबिज होना बताया है। साथ ही राजस्व अभिलेख में भूमि चरागाह है और इसी आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांत को अतिक्रमी सिद्ध होने पर कार्यवाही की गई है। पटवारी हल्का द्वारा अपने बयानों पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी बताया है। इससे स्पष्ट है कि अपीलांत द्वारा राजकीय चरागाह भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अपील अपीलांत खारिज योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांत अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है। अपीलाधीन आदेश यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मय निर्णय प्रति भिजवाई जावे। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ट लेख भण्डार हो।



(नरेश कुमार शर्मा)
जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक:24 जनवरी, 2018 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(नरेश कुमार शर्मा)